

**शैक्षिक भ्रमण योजना  
( जिला एवं राज्य स्तरीय )**

1.	योजना का नाम	शैक्षिक भ्रमण योजना ( जिला एवं राज्य स्तरीय )
2.	संक्षिप्त परिचय	विद्यार्थियों में सांस्कृतिक व शैक्षिक व ऐतिहासिक धरोहरों से परिचित करवाने के लिए तथा पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त ज्ञान की वृद्धि हेतु योजना।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	2011
4.	लाभान्वित वर्ग	राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों को कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय भ्रमण करवाया जाता है। कक्षा 10 व 12 के लिए 10 दिवसीय भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत अन्य राज्य में भ्रमण हेतु भेजा जाता है।
5.	पात्रता	इसके लिए न्यूनतम 70 प्रतिशत अंकों के साथ राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर सांस्कृतिक/साहित्यिक/खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थी ही पात्र होते हैं।
6.	देय सुविधा	शैक्षणिक भ्रमण में राज्य स्तर पर दर्शनीय स्थल/ऐतिहासिक स्थलों का कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों को भ्रमण करवाया जाता है। कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों के लिए भारत दर्शन के अन्तर्गत अन्य राज्यों में शैक्षणिक भ्रमण करवाया जाता है।
7.	आवेदन का तरीका	संस्था प्रधान के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को
8.	आवेदन कहां किया जाए	संस्था प्रधान
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	संबंधित कक्षा की अंक तालिका तथा साथ राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर सांस्कृतिक/साहित्यिक/खेलकूद प्रतियोगिताओं के प्रमाण-पत्र
10.	सम्पर्क सूत्र	जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)
11.	कार्य न होने पर शिकायत/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हेतु सम्पर्क अधिकारी	संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)/ उपनिदेशक(माध्यमिक)/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। (शिकायत जिस स्तर पर पेडिंग हो उससे उच्चतर अधिकारी को)

